क्रमांक: COOP/2023/KOTA/201080/25/12

एग्रीकल्चर फ़ोरम फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑफ़ फार्मिंग सोसायटी

कोटा, राजस्थान

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): किसानों के लिए ऋण सुविधा

संकलन

1. डॉ. दिव्या चौधरी
कृषि विस्तार और संचार विभाग, सहायक प्रोफेसर,
राजकीय कृषि कॉलेज, बस्सी, चित्तौड़गढ़।

2. कमलेश चौधरी
कृषि विस्तार और संचार विभाग, कृषि कॉलेज, स्वामी केशवानंद
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।

3. डॉ. लक्ष्य चौधरी
कृषि रसायन और मृदा विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।

परिचय

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में भारत सरकार द्वारा किसानों को समय पर और आसानी से कृषि ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को ब्याज दर में रियायत देते हुए कम दस्तावेज़ी प्रक्रिया के माध्यम से खेती-बाड़ी के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

योजना की विशेषताएं

- सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया।
- कम ब्याज दर पर ऋण।
- न्यूनतम दस्तावेज़ की आवश्यकता।
- क्रेडिट कार्ड की तरह एटीएम सुविधा।
- फसल बीमा योजना से जुड़ा हुआ लाभ।
- एक बार आवेदन करने के बाद 5 वर्षों तक वैधता।
- समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज में अतिरिक्त छूट।

कौन ले सकता है लाभ?

- सभी छोटे, सीमांत एवं बड़े किसान।
- खेती करने वाले व्यक्ति चाहे वे स्वामी हों या किरायेदार।
- पशुपालन, मछली पालन और बागवानी से जुड़े किसान भी पात्र हैं।

ऋण की सीमा एवं वापसी

- क्रेडिट सीमा: ₹10,000 से ₹3 लाख तक।
- ऋण वापसी की अवधि: फसल कटाई के बाद या 12 माह के भीतर।
- पशुपालन या मत्स्यपालन हेतु सीमा अलग से निर्धारित की जाती है।

ब्याज दर व छूट

- सामान्य ब्याज दर: 7% वार्षिक (परिवर्तनीय)।
- समय पर भुगतान करने पर 3% की ब्याज सहायता।
- प्रभावी ब्याज दर मात्र 4% हो सकती है।

आवश्यक दस्तावेज़

1. आधार कार्ड
2. भूमि दस्तावेज़ / किरायानामा (भूमि पर निर्भर)
3. पासपोर्ट साइज फोटो
4. बैंक पासबुक की प्रति
5. पैन कार्ड (यदि हो)

आवेदन की प्रक्रिया

1. निकटतम बैंक शाखा में जाएं या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करें।
2. आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें।
3. भूमि और कृषि विवरण की जाँच के बाद बैंक ऋण स्वीकृत करता है।
4. ऋण स्वीकृति के पश्चात किसान को KCC जारी किया जाता है।

KCC से जुड़ी अन्य योजनाएं

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- कृषि इनपुटसब्सिडी योजनाएं
- प्रधानमंत्री किसानसम्मान निधि (PM-KISAN)

KCC के लाभ

- किसानों को साहूकारों से छुटकारा।
- खेती के समय पर निवेश में सहायता।
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि।
- डिजिटलीकरण और बैंकिंग से जुड़ाव।
- पशुपालन व मत्स्य पालन हेतु भी उपयोगी।

संपर्क करें

बैंक शाखा / कृषि सेवा केंद्र / ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी / CSC केंद्र

अधिक जानकारी हेतु: www.kisancreditcard.gov.in
कॉल सेंटर: 1800-180-1551 (टोल फ्री)